Information Brochure 2026-27

SHIKSHA MANDAL'S

G.S. College of Commerce & Economics (Autonomous)

The First NAAC Accredited Aided College of Madhya Pradesh

Civil Lines, Jabalpur (M.P.) | Phone : (0761) 2678646, 9329146949, 9329146950

www.gscollegejbp.edu.in principal@gscollege.org https://www.facebook.com/gscollegejbp

VISION

"The Construction of a World Society based on Knowledge, Skill and Human Values"

MISSION

The Creation of an Educated and Cultured New Generation for the World of Business and Industry"

Coming Soon

G.S. COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES

Vijay Nagar, Jabalpur

New Courses

BBA		
MBA	-	Marketing
MBA	-	Human Resource
MBA	-	Finance
MBA	-	Information Technology

अध्यक्ष की कलम से

मुझे बहुत गर्व और ज़िम्मेदारी का एहसास है कि शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश शाखा जबलपुर के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट और पूर्व एडवोकेट जनरल स्व. श्री वाई.एस. धर्माधिकारी और स्व. डॉ. श्रीमती शुभदा पाण्डेय जी के बाद जी.एस कॉलेज में प्रबंधन में प्रबंधमंत्री व अध्यक्ष शासी निकाय के रूप में मैं अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। प्रबंधन जी.एस. कॉलेज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु महाविद्यालय में बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराने के साथ-साथ अकादमिक आयोजनों कॉन्फ्रेंस, सेमीनार, वर्कशॉप, वोकेशनल ट्रेनिंग व प्लेसमेंट को अधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है। इसके लिये हम अपने जाने माने पूर्व छात्रों तथा देश के अग्रणी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी शामिल कर रहे हैं। सभी फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट्स के सहयोग से अपने सपनों को पूरा करने और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए महाविद्यालय प्रबंधन सतत् प्रयत्नशील है।

डॉ. अमरेन्द्र पाण्डेय
अध्यक्ष शासी निकाय
जी.एस. अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय
(स्वशासी) जबलपुर (म.प्र.)

प्राचार्य का संदेश

प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों और आगंतुकों,

जी.एस. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स (स्वशासी), जबलपुर में आप सभी का स्वागत है। 1948 में शिक्षा मंडल द्वारा अपनी स्थापना के बाद से ही हमारा कॉलेज शैक्षणिक उत्कृष्टता और सर्वांगीण विकास का एक प्रकाश-स्तंभ रहा है।

हमें इस बात पर अत्यंत गर्व है कि जी.एस. कॉलेज जबलपुर, वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान हैं। हमारा उद्देश्य ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जो न केवल ज्ञान प्रदान करे, बल्कि मूल्यों का भी पोषण करें, नवाचार को बढ़ावा दें और विद्यार्थियों को व्यापार और अर्थशास्त्र की गतिशील दुनिया के लिए तैयार करे। सत्य, अहिंसा और अनुशासन के गांधीवादी दर्शन से प्रेरित होकर, हम एक ऐसी शिक्षित और सुसंस्कृत पीढ़ी के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो वैश्विक समाज में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और मूल्यों से सुसज्जित हो। हमारे समर्पित संकाय सदस्य विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्कृष्टता और व्यक्तित्व विकास हेतु निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

हमनें उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं। आज भी जी.एस. कॉलेज मध्य प्रदेश में वाणिज्य शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। मैं आपको हमारी वेबसाइट देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि आप हमारे कार्यक्रमों, उपलब्धियों और हमारे जीवंत परिसर जीवन के बारे में और अधिक जान सकें । यही वे विशेषताएँ हैं जो हमारे संस्थान को वास्तव में अद्वितीय बनाती हैं।

शुभकामनाओं सहित

डॉ. नरेश चंद्र त्रिपाठी
प्राचार्य
जी.एस अर्थ - वाणिज्य महाविद्यालय
(स्वशासी) जबलपुर

हमारा मूल संस्थान

शिक्षा मंडल,वर्धा (महाराष्ट्र)

शिक्षा मंडल, एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1914 में वर्धा (महाराष्ट्र) में **सेठ जमनालाल बजाज** और **श्री श्रीकृष्ण जाजू** द्वारा दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी- **प्रथम युवाओं के बीच राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करना और द्वितीय देश में उच्च शिक्षा का भारतीयकरण करना।** श्री जमनालाल बजाज 15 वर्षों से अधिक समय तक शिक्षा मण्डल के अध्यक्ष रहे। 1937 में शिक्षा मंडल के रजत जयंती समारोह के दौरान, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में शिक्षा पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। देश के सभी शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं और शिक्षाविदों ने इसमें भाग लिया। इस संगोष्ठी में यह निर्णय लिया गया कि देश में उच्च शिक्षा का हिन्दी माध्यम से अध्यापन किया जाये और वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र का हिन्दी में साहित्य सृजन किया जाये। आचार्य श्रीमन्नारायणजी अग्रवाल जो बाद में योजना आयोग के सदस्य, नेपाल में भारत के राजदूत और गुजरात के राज्यपाल बने की पहल और सेठ गोविंदराम सेकसरिया के उदार दान से यह संभव हुआ और 1940 में वर्धा में और 1945 में नागपुर में जी.एस. कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई। इसी क्रम में 1948 में जबलपुर में जी.एस. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की स्थापना हुई।

वर्तमान समय में शिक्षा मण्डल द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

1. जी.एस. कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वर्धा (1940)
2. जी.एस. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, (स्वायत्त) नागपुर (1945)
3. जी.एस. अर्थ- वाणिज्य महाविद्यालय (स्वशासी) जबलपुर (1948)
4. श्री कृष्णदास जाजू ग्रामीण सेवा महाविद्यालय, पिपरी -वर्धा (1961)
5. जे. बी. कॉलेज ऑफ साइंस, वर्धा (1962)
6. आचार्य श्रीमन्नारायण पॉलिटेक्निक, पिपरी-वर्धा (1963)
7. रामकृष्ण बजाज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, पिपरी-वर्धा (2003)

1961 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् मध्यप्रदेश के लिये शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश शाखा, जबलपुर का गठन किया गया है और इसे गो.से. अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर के प्रबंधन का दायित्व प्रदान किया गया। स्व. श्री कमलनयन बजाज, स्व. श्री गंगाबिशन बजाज, स्व. श्री श्रीमन्नारायण, स्व. श्री रामकृष्ण बजाज, स्व. श्री राहुल बजाज, स्व. श्री यशवंत शंकर धर्माधिकारी, स्व. श्री चन्द्रशेखर धर्माधिकारी, श्री भरत महोदय, स्व. डॉ. श्रीमती शुभदा पाण्डेय और श्री संजय भार्गव ने शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश शाखा जबलपुर को अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। वर्तमान समय में शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश शाखा जबलपुर की प्रबंध समिति इस प्रकार है:-

अध्यक्ष	:	**श्री सत्यरंजन धर्माधिकारी,** पूर्व न्यायमूर्ति बॉम्बे हाईकोर्ट
उपाध्यक्ष	:	**श्री आशुतोष धर्माधिकारी,** एडवोकेट, बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बैंच
प्रधानमंत्री	:	**श्री देवदत्त माधव धर्माधिकारी,** पूर्व न्यायमूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय
प्रबंध मंत्री व अध्यक्ष शासी निकाय	:	**डॉ. अमरेन्द्र पाण्डेय**

जी.एस. कॉलेज संस्कार और स्वावलम्बन के निर्माण का सुनहरा सफर

भारतवर्ष में स्वाधीनता आंदोलन के क्रम में वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन के विचार का सूत्रपात हुआ। इसी कड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशीकरण का अभिनव प्रयास गांधी जी के सुझाव पर प्रारम्भ किया गया। इस कार्य का दायित्व गांधीजी ने श्री जमनालाल बजाज जी को सौंपा। गांधी जी उन्हें अपना पांचवा पुत्र मानते थे। अक्टूबर 1910 में शिक्षा मण्डल, वर्धा की स्थापना गांधी जी के पांचवे पुत्र और उनके ट्रस्टीशिप सिद्धान्त के निष्ठावान अनुगामी, राष्ट्रीय आंदोलन के यशस्वी नेता दानवीर सेठ जमनालाल बजाज ने गांधी जी व सरदार पटेल की प्रेरणा से की थी। वे ही इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय आंदोलन से ओतप्रोत शिक्षा मण्डल के रजत जयंती समारोह में 'राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन' का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। श्री जमनालाल जी के मार्गदर्शन में शिक्षा मंडल के द्वारा 1919 में एक विद्यालय की गुरुआत की गई। उच्च शिक्षा विशेष रूप से हिन्दी में वाणिज्य शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से महाविद्यालयों की स्थापना का क्रम प्रारम्भ हुआ। शिक्षा मण्डल के सद्प्रयत्नों और मुम्बई के उद्योगपति सेठ गोविन्दराम जी सेकसरिया के उदार दान से 1942 में वर्धा में प्रथम गो.से. अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। वाणिज्य शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुये 1945 में नागपुर में दूसरे गो.से. अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा मण्डल के तत्कालीन अध्यक्ष एवं गुजरात के भूतपूर्व राज्यपाल आचार्य श्रीमन्नारायण जी के सद्प्रयत्नों से स्व. सेठ गोविन्दराम सेकसरिया जी की पुण्य स्मृति में, सेकसरिया ट्रस्ट के एक लाख रूपये के उदार व स्तुत्य दान से जुलाई 1948 में गो.से. अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय (जी. एस. कालेज), जबलपुर की स्थापना की गई थी। इस प्रकार शिक्षा मण्डल द्वारा वर्धा, नागपुर और जबलपुर में वाणिज्य महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने के बाद महाराष्ट्र, मध्य भारत, बरार व वर्तमान मध्यप्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में वाणिज्य के प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हुआ। अपनी गौरवशाली परम्पराओं व सुदृढ़ परिकल्पना के परिणाम स्वरूप, ये महाविद्यालय अपने राज्यों में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में अर्थ-वाणिज्य शिक्षा जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बना सकने में सफल हो सके।

19 जुलाई 1969 से पूर्व तक इस महाविद्यालय का संचालन शिक्षा मण्डल वर्धा के अंतर्गत था। 1956 में मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात, वर्धा और जबलपुर के अलग-अलग राज्यों में हो जाने के कारण, कुछ कानूनी औपचारिकताओं और अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए 19 जुलाई 1969 को, शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश शाखा जबलपुर का पंजीयन हुआ। तब से गो.से. अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर का प्रबन्धन व संचालन शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश शाखा जबलपुर के अन्तर्गत होने लगा। शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश शाखा जबलपुर के प्रथम अध्यक्ष सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री कमलनयन बजाज थे। इसके प्रथम प्रधानमंत्री गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल आचार्य श्रीमन्नारायण, प्रथम उपाध्यक्ष श्री मनमोहन दास, विधान सभा सदस्य और प्रथम प्रबंधमंत्री श्री पन्नालाल बल्दुआ थे। इसके बाद में श्री मन्नारायण जी और श्री रामकृष्ण बजाज इसके अध्यक्ष रहे। सुप्रसिद्ध उद्योगपति पद्मभूषण श्री राहुल बजाज 12 फरवरी 2022 तक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश शाखा जबलपुर के अध्यक्ष रहे। वर्तमान समय में गो.से. अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर राज्य की अग्रणी शिक्षण संस्था है। महाविद्यालय को इस पड़ाव तक सफलतापूर्वक लाने का श्रेय, संस्थापक प्राचार्य स्व. आचार्य भगवतशरण अधोलिया जी से लेकर वर्तमान प्राचार्य डॉ. नरेश चंद्र त्रिपाठी को है। वर्तमान समय में डॉ. अमरेन्द्र पाण्डेय महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष हैं।

स्व. यशवंत शंकर धर्माधिकारी दीर्घकाल तक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, जबलपुर के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। वस्तुतः धर्माधिकारी जी इस विद्यालय की नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने अपने मधुर व विनम्र व्यवहार और कार्यकुशलता की बदौलत, महाविद्यालय को निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रखा। उनके निधन के पश्चात् स्नेह शीतल छाया की पूर्ति, उनके अनुज पद्मभूषण श्री चन्द्रशेखर धर्माधिकारी जी (अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय) ने की। साथ ही स्व. यशवंत शंकर धर्माधिकारी जी की पुत्री स्व. डॉ. श्रीमती शुभदा पाण्डेय, प्रबंधमंत्री ने महाविद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति में अपने योगदान को अक्षुण्य बनाये रखा।

अपनी स्थापना काल से ही हिन्दी माध्यम से अर्थशास्त्र व वाणिज्य विषय की शिक्षा व तत्संबंधी साहित्य सृजन के कार्य में सलग्न महाविद्यालय में सहशिक्षा प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में बी.कॉम (व्यवहारिक अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, टेक्स प्रोसीजर एण्ड प्रैक्टिस) में विशिष्टता, बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.एड., एम.कॉम., एम.ए. (अर्थशास्त्र) तथा एम.ए. (एच. आर.ए.) का अध्यापन हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यमों से वाणिज्य संकाय में शोध कार्य हेतु प्री-पी.एच.डी. कक्षायें संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये खेलकूद की सुविधाओं के अलावा एन.सी.सी., एन.एस.एस., रेडक्रॉस, जनसंख्या क्लब, मतदाता जागरुकता क्लब, भारतीय ज्ञान परम्परा संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

नगर में शान्त व सरम्य दक्षिण सिविल लाईन्स क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय का अपना विस्तृत परिसर है। इसमें अध्ययन कक्षों, ग्रंथालय, सभागार, कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, प्रशासनिक भवन व खेलकूद परिसर की उत्तम व्यवस्था है। महाविद्यालय परिसर में प्रवेश द्वार पर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यशवंत शंकर धर्माधिकारी, चन्द्रशेखर धर्माधिकारी, डॉ. श्रीमती शुभदा पाण्डेय, जमनालाल बजाज, कमलनयन बजाज तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्र शहीद शैलेन्द्र वीर विक्रम की प्रतिमायें विद्यार्थियों के लिये सतत् मार्गदर्शन व प्रेरणा का स्त्रोत हैं। महाविद्यालय में उद्यान के एक भाग में औषधीय उद्यान विकसित किया गया है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉलीबॉल, खो-खो, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, योगा, ओपन जिम आदि व्यवस्थायें हैं।

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम, अवधि, सीट्स एवं शुल्क

Sr.	Course	Duration	Intake	Annual Fees
1	B.Com (Applied Economics) Plain	3 Year	180	15000/-
2	B.Com (Computer Application)	3 Year	180	21000/-
3	B.Com (Tax Procedure & Practice)	3 Year	60	18000/-
4	B.Com. (Retail Operations)	3 Year	60	18000/-
5	B.Com. (Logistics)	3 Year	60	18000/-
6	B.Com. (Banking, Finance Service & Insurance)	3 Year	60	18000/-
7	B.Com. (Honrs) (4th Year)	1 Year	30	15000/-
8	B.Com. (Honrs) With Research (4th Year)	1 Year	30	15000/-
9	B.B.A.	3 Year	120	21500/-
10	B.C.A	3 Year	120	21500/-
11	B.A.	3 Year	60	9000/-
12	B.Ed	2 Year / 4 Sem.	50	36000/- As per govt. norms
13	M.Com. 1 Year Programme	1 Year / 2 Sem.	30	8000/- Per Sem
14	M.Com	2 Year / 4 Sem.	90	8000/- Per Sem
15	M.A (Economics)	2 Year / 4 Sem.	30	8000/- Per Sem
16	M.A. (HRA)	2 Year / 4 Sem.	30	8000/- Per Sem
17	Pre. Ph.D Course Work (Commerce & Applied Economics)	6 Month	On the basis of avaibilites	As Per RDVV Norms

नोट :- उपरोक्त शुल्क में परीक्षा शुल्क शामिल नहीं है।

पाठ्यक्रम संरचना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यादेश क्रमांक 14 (1) अनुसार के अनुसार प्रतिवर्ष निम्नलिखित विषयों का चयन करना होगा –

1.	मुख्य विषय (Major)	6 क्रेडिट / 100 अंक
2.	गौण विषय (Minor)	4 क्रेडिट / 100 अंक
3.	मल्टीडिसिप्लिनरी विषय	3 क्रेडिट / 100 अंक
4.	कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम	3 क्रेडिट / 100 अंक
5.	योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC)	4 क्रेडिट / 200 अंक
6.	मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम (VAC)	2 क्रेडिट / 100 अंक
7.	इंटर्नशिप / प्रोजेक्ट रिर्पोट (Internship / Project Report)	100/ 100 अंक

नोट - नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्नाकोत्तर के विद्यार्थी को प्रतिवर्ष 3 मेजर, 2 माइनर विषयो को उपरोक्त विषयों के साथ लेना होगा। 3 मेजर, 2 माइनर विषयों का मूल्यांकन आंतरिक एवं मुख्य मूल्यांकन में विभाजित है।

UG : COURSE & YEAR WISE CREDIT STRUCTURE
B.COM / BBA / BCA - Ist YEAR

S.NO.	PAPER	CREDITS
1.	MAJOR-1	6
2.	MAJOR-2	6
3.	MAJOR-3	6
4.	MINOR -1	4
5.	MINOR -2	4
6.	MDS	3
7.	VOC./SKILL ENHANCEMENT	3
8.	FC-1	2
9.	FC-2	2
10.	COMMON VALUE ADDED COURSE	2
11.	PROJECT/INTERNSHIP	2
	TOTAL CREDIT	**40**

B.COM / BBA / BCA - IInd YEAR

S.NO.	PAPER	CREDITS
1.	MAJOR-4	6
2.	MAJOR-5	6
3.	DSE -1	4
4.	DSE-2	4
5.	MINOR -3	4
6.	MINOR -4	4
7.	MDS -2	3
8.	AEC-3	2
9.	AEC-9	2
10.	SEC- (VOC)	3
11.	VAC	2
12.	PROJECT/INTERNSHIP	2
	TOTAL	**42**

B.COM / BBA / BCA - IIIrd YEAR

S.NO.	PAPER	CREDITS
1.	MAJOR-6	6
2.	MAJOR-7	6
3.	MAJOR-8	6
4.	DSE-3	6
5.	DSE-4	6
6.	MINOR -5	4
7.	MINOR -6	4
8.	MD-3	3
9.	AEC-5	2
10.	AEC-6	2
11.	SEC - (VOC)	3
12.	VAC -3	2
13.	VAC -4	2
14.	PROJECT/INTERNSHIP	2
	TOTAL	**54**

B.COM / BBA / BCA - IVth YEAR

S.NO.	PAPER	CREDITS
1.	MAJOR - 9	6
2.	MAJOR - 10	6
3.	MAJOR - 11	4
4.	DSE - 5	4
5.	MINOR -7	4
6.	MINOR -8	4
7.	RSEARCH PROJECT/ DESERTATION or	12
	OCC - 1 (4), OCC -2 (4), OCC -3 (4)	12
	TOTAL	**54**

प्रवेश हेतु आयु-सीमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, एवं पात्रता

आयु सीमा - विद्यार्थियों के लिये आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - स्नातक स्तर हेतु - 10+2 परीक्षा एवं समकक्ष उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी –

1. **वाणिज्य -** वाणिज्य संकाय के सुसंगत विषय एवं अन्य संकाय प्रवेश हेतु संबंधित विषय / संकाय में **CUET** / विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो
2. **कला -** कला संकाय के सुसंगत विषय अथवा अन्य संकाय में प्रवेश हेतु संबंधित विषय / संकाय में **CUET** / विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो

स्नातकोत्तर स्तर - (दो वर्षीय / **04** सेमेस्टर) हेतु – स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए./ एम. कॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रावधानों के अनुसार होगी।

एम.कॉम प्रथम सेमेस्टर - बी. कॉम / बी. कॉम (तीन वर्षीय) से स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बी. कॉम में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेंजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिये पात्र है अथवा संबंधित विषय में **CUET** या विश्व विद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।

एम.ए. प्रथम सेमेस्टर - स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय) में अथवा स्नातक की डिग्री / (ओल्ड कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कला में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेंजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिये पात्र है अथवा संबंधित विषय में **CUET** या विश्व विद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।

चयन प्रक्रिया :- उच्चशिक्षा एवं तकनीकी विभाग, म.प्र.शासन के नियमानुसार केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को संबंधित कक्षा में प्रवेश की पात्रता होगी।

शुल्क वापसी की नीति एवं समय सीमा -

उच्चशिक्षा एवं तकनीकी विभाग, म.प्र.शासन के नियमानुसार केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में दिये गये नियमों के अनुसार प्रवेश निरस्त कराने वाले विद्यार्थियों को शुल्क वापसी की पात्रता होगी, परन्तु ऐसे विद्यार्थी जिन्होने कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लिया है और उनका विश्वविद्यालय का नामांकन आदि शुल्क जमा हो चुका है तो उक्त राशि काटकर उन्हें शेष राशि वापिस प्राप्त करने की पात्रता होगी। आवेदन प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर विद्यार्थी को चेक के माध्यम से शुल्क वापस किया जावेगा।

यदि कोई छात्र सत्र के बीच में ही कॉलेज छोड़ देता है, तो उसे 'स्थानांतरण प्रमाण पत्र' (Transfer Certificate) जब वह उस वर्ष की पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दे तथा विभिन्न विभागों से अनापत्ती प्राप्त करने के उपरांत दिया जाएगा।

कॉलेज में अपनी पढ़ाई बंद करने के एक वर्ष के भीतर 'कॉशन मनी' (जमानत राशि) की वापसी के लिए आवेदन किया जाना चाहिए।

जुर्माना / दंड के नियम / प्रावधान -

विद्यार्थी के द्वारा महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या नियमों के उल्लंघन करने, महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुचांने के लिए दोषी पाया जाता है तो महाविद्यालय की अनुशासन समिति के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समिति द्वारा जो अर्थ–दण्ड लगाया जाएगा, उसे विद्यार्थी को परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अदा/जमा करना होगा।

यदि छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें 'डिफॉल्टर' (बकायादार) माना जाएगा। ऐसे छात्रों को न तो कॉलेज में प्रवेश दिया जाएगा और न ही उन्हें सत्र के दौरान किसी भी कॉलेज कार्यक्रम या समारोह में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

संकाय सदस्यों की योग्यता एवं अनुभव

क्रमांक	नाम	पद	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव (वर्ष में)
1.	Dr. Naresh Chandra Tripathi	Principal	M.Com, MBA, Ph.D.	44
2.	Dr. Durgesh Babu Kosta	Associate Professor	M.Com, M.A. Economics, Ph.D.	38
3.	Dr. Raj Kumar Gautam	Associate Professor	M.Com,MA. (Economics), Ph.D.	36
4.	Dr. Sanjay Kumar Srivastava	Associate Professor	M.A., L.L.B. Ph.D.	38
5.	Dr. Shakti Prathaban	Associate Professor	M.Com,LLB.,MBA.,M.A.(GPS), Ph.D.	39
6.	Dr. Shiv Kumar Vyas	Associate Professor	MA. (Hindi)M.Phil, Ph.D	33
7.	Dr. Arti Patel	Associate Professor	MA.(English) Ph.D.	36
8.	Dr. Gyanandre Tripathi	Associate Professor	M.Com,M.A.(Econ.),Ph.D., MBA (H.R.)	33

9.	Dr. Sunil Kumar Deshpande	Assistant Professor	M.Com, M.A. Economics, PGDMM, Ph.D.	33
10.	Dr. Ashok Banerjee	Assistant Professor	M.Com, M.A. Economics, LLB, Ph.D.	35
11.	Dr. Sharad Rajak	Assistant Professor	M.Com, Ph.D.	29
12.	Dr. Neeraj Kumar Kesharwani	Assistant Professor	M.Com, Ph.D., PGDCA	31
13.	Shri Anurag Upadhyay	Assistant Professor	MCA	20
14.	Shri Praveen Kumar Singh	Assistant Professor	MCA	24
15.	Dr. Arpana Pande	Assistant Professor	M.A., M.Ed., Ph.D. (Education)	23
16.	Dr. Vandana Paroha	Assistant Professor	M.A., M.Ed., Ph.D. (Education)	23
17.	Dr. Tripti Dixit	Assistant Professor	M.Sc.(Botany), MBA(HRA), M.Ed.(Sci.), Ph.D.(Edu.)	21
18.	Dr. Dimple Bhalla	Assistant Professor	M.Sc.(Chem.), M.Ed., Ph.D.(Edu.)	20
19.	Dr. Usha Mishra	Assistant Professor	M.A.(Eng.), M.Ed., Ph.D. (Edu.)	20
20.	Ku. Kausar Bano	Assistant Professor	MA. (Drawing and Painting)	22
21.	Dr. Abhishek Shrivastava	Assistant Professor	M.Com. M.Sc(CS), Ph.D, PGDCA, Accounting Technician(ICAI),	21
22.	Dr. Ram Krishna Patel	Assistant Professor	M.Com, Ph.D.	18
23.	Dr. Anurag Singh	Assistant Professor	M.Phil (CS), PGDCM, Ph.d(CS)	23
24.	Dr. Sunita Upadhyay	Assistant Professor	MA. (Hindi), B.Ed. Ph.D.	19
25.	Ms Sumona Ghosh	Assistant Professor	MPM & IR, NET (HR), M.COM	14
26.	Dr. Archana Muthye	Assistant Professor	Ph.D., M.I.B., M.Sc.	20
27.	Shri Sachin Kumar Malve	Assistant Professor	M.C.A., B.Ed.	06
28.	Mr Atul Mishra	Assistant Professor	M.SC. (Maths) B.Tec (ECE)	01
29.	Moh. Mueen Ahmed Qureshi	Sports Officer	M.Com (M.P.Ed)	09

अवसंरचना, पुस्तकालय, हॉस्टल, चिकित्सा, खेल सुविधाएँ

मध्य प्रदेश का पहला NAAC मान्यता प्राप्त अनुदान प्राप्त महाविद्यालय

जी.एस. कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स (स्वशासी), जबलपुर, मध्य प्रदेश राज्य में उच्च वाणिज्य शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। यहाँ पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:-

* स्थापना : 19 जुलाई 1948 * NAAC से मान्यता प्राप्त * स्वायत्व (Autonomous) महाविद्यालय

* हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण * विशाल परिसर (3.31 एकड़)

शैक्षणिक सुविधायें - अकादमिक भवन, प्रशासनिक भवन, वाईफाई कैम्पस, केन्द्रीय ग्रंथालय व विभागीय ग्रंथालय, वाचनालय, कम्प्यूटर लैब, सेमिनार हॉल (2), जमनालाल बजाज स्मृति मुख्य सभागार, स्मार्ट क्लास रूम्स, छात्राओं के लिये कॉमन रूम, कैंटीन, विशाल वाहन पार्किंग, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स (आउटडोर व इनडोर), पॉवर बैकअप (जनरेटर), सोलर पैनल्स (सिस्टम), इलेक्ट्रिकल एनओसी, फायर एनओसी (फायर सिस्टम), रैम्प, लिफ्ट, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, हर्बल गार्डन, विशाल उद्यान, रैन वाटर हार्बेस्टिंग, कम्पोस्ट पिट, मांग पर हॉस्टल उपलब्ध (एम.ओ.यू.), आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC), स्वशासी प्रकोष्ठ, सम्पूर्ण परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरे परिचालित हैं। विभिन्न स्थलों पर वाटर कूलर, भूतपूर्व छात्र परिषद्।

महाविद्यालय में दो उद्यान, 2 सभागार, 80 कम्प्यूटरों से युक्त 2 कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं (कम्प्यूटर लैब) सेमिनार हॉल, कैंटीन, 5 स्मार्ट क्लास रूम, सहित 24 अध्यापन कक्ष है। छात्राओं के लिए कॉमन रूम और खेलकूद का मैदान है।

पुस्तकालय :

महाविद्यालय के पुस्तकालय में 55,627 कोर्स की किताबें और संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो कॉलेज के नियमित छात्रों को जारी की जाती हैं। परीक्षा के दौरान, छात्र 'बुक बैंक योजना' के तहत सुरक्षा राशि जमा (Security Deposit) के आधार पर कितनी भी किताबें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, 30 शोध पत्रिकाएं (Research Journals), 6,000 ऑनलाइन ई-पत्रिकाएं, 1,99,500 ई-किताबें, 25 पत्रिकाएं और 12 दैनिक समाचार पत्र भी छात्रों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। छात्रों के लिए एक अलग अध्ययन कक्ष (Study Room) और वाचनालय (Reading Room) की व्यवस्था है।

खेलकूद के लिए बुनियादी ढांचा एवं सुविधाएँ-

1. बास्केटबॉल कोर्ट	2. वॉलीबॉल कोर्ट	3. बैडमिंटन कोर्ट	4. खो-खो का मैदान
5. कबड्डी का मैदान	6. टेबल टेनिस कोर्ट	7. लॉन टेनिस	8. कैरम
9. शतरंज	10. बोर्ड गेम्स	11. ओपन जिम	12. योगा

भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ - महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ स्थापित है। जहाँ पर प्राचीन भारतीय साहित्य अध्ययन हेतु उपलब्ध है।

छात्रवृत्ति योजनायें :-

- पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एस.टी., एस.सी., ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिये।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

- मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना
- आवास सहायता एस.टी., एस.सी. वर्ग के विद्यार्थियों के लिये (एम.पी. टास पोर्टल के माध्यम से आवेदन)
- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिये।
- सेन्ट्रल सेक्टर योजना महाविद्यालय / विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिये।

हॉस्टल - महाविद्यालय के द्वारा आस-पास के हॉस्टल संचालको के साथ MOU किया गया है। जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को स्थान रिक्त होने पर आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

चिकित्सा - महाविद्यालय में एक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष स्थापित है। साथ ही अध्यापन अवधि में आकस्मिक चिकित्सा हेतु निकटवर्ती अस्पताल - पाण्डे हॉस्पिटल प्रा.लि. से MOU किया गया है।

अन्य सुविधाएं - लिफ्ट, फायर सिस्टम, जनरेटर, रैम्प, केन्टीन, साइकिल स्टेण्ड, सी.सी.टी.वी कैमरे, फ्री वाईफाई कैम्पस

अनुशासन संबंधी नियम (कॉलेज आचार संहिता):

1. विद्यार्थियों को प्रिंसिपल के आदेशों का पालन करना होगा। वे अपने आचरण की पूरी ज़िम्मेदारी लेंगे और प्रिंसिपल तथा स्टाफ के प्रति जवाबदेह होंगे।
2. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 'रैगिंग' एक आपराधिक अपराध है। रैगिंग के किसी भी मामले की सूचना पुलिस विभाग को दी जाएगी और दोषी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
3. क्लास-रूम के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कॉलेज प्रबंधन किसी भी सामान के नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी को कॉलेज द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र (ID Card) प्रतिदिन साथ लाना अनिवार्य है।
5. साइकिल-स्टैंड में निर्धारित स्थान पर वाहन पार्क करते समय प्रत्येक बार एक टोकन लेना अनिवार्य है। कॉलेज प्रबंधन वाहन को होने वाले किसी भी नुकसान या उसकी चोरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
6. कॉलेज परिसर में ड्रेस कोड और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए स्व-अनुशासन (Self & Discipline) आवश्यक है।
7. प्रिंसिपल की लिखित अनुमति के बिना, न तो कोई समिति बनाई जाएगी और न ही किसी विद्यार्थी को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
8. यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी फर्नीचर, बिजली के कनेक्शन और फिटिंग्स का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। कॉलेज की संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करते हुए पाए जाने पर संबंधित छात्र को कठोर दंड दिया जाएगा।
9. कोई भी विद्यार्थी प्रिंसिपल की लिखित अनुमति के बिना कॉलेज से संबंधित कोई भी पत्र या लेख प्रकाशित नहीं करेगा। इस नियम का उल्लंघन एक अपराध माना जाएगा और संबंधित छात्र/छात्रा के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
10. किसी भी विद्यार्थी को राजनीतिक रैलिया या बहस में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

यू.जी.सी. द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट अन्य सूचनाएँ -

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली एवं उच्चशिक्षा विभाग, म.प्र.शासन के निर्देशानुसार स्वयं पोर्टल का प्रचार-प्रसार किया जाता है व इस हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया हे। इसी प्रकार भारतीय ज्ञान परम्परा के प्रसार हेतु महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ का गठन एवं साहित्य उपलब्ध कराया गया है।

विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति (SGRC)

महाविद्यालय में शासन के निर्देशानुसार विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति (SGRC) का गठन किया गया है।

1	डॉ. संजय कुमार श्रीवास्तव	अध्यक्ष	9893736823
2	डॉ. आरती पटेल	सदस्य	9993588850
3	डॉ. ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी	सदस्य	9424690369
4.	डॉ. सुनील देशपाण्डे	सदस्य	9827156470
5.	डॉ. अशोक बैनर्जी	सदस्य	9340024464
6.	डॉ. शरद रजक	सदस्य	9827356123
7.	डॉ. रामकृष्ण पटैल	सदस्य	9893478319
8.	सुश्री अनुष्का बैस (छात्र प्रतिनिधि)	सदस्य	9303737055

लोकपाल रानीदुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा नियुक्त।

शिकायत / अपील दर्ज करने की प्रक्रिया

SGRC की कार्यप्रणाली:

- संस्थान से संबंधित शिकायत लिखित या ऑनलाइन माध्यम से SGRC अध्यक्ष को संबोधित करते हुए प्रस्तुत की जा सकती है।
- समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी।
- शिकायत प्राप्त होने के पश्चात्, 15 कार्यदिवस में SGRC अपनी सिफारिश / निर्णय संस्था प्रमुख को भेजेगा।
- निर्णय की प्रति विद्यार्थी को दी जाएगी।

अपील का अधिकार : यदि विद्यार्थी SGRC के निर्णय से असंतुष्ट है। तो वह 15 दिनों के भीतर लोकपाल (Ombudsperson) के समक्ष अपील कर सकता है।

लोकपाल के कार्य (Functions of Ombudsperson)

- छात्रों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं वाध्य अपीलीय प्राधिकरण प्रदान करना।
- लोकपाल केवल उन्हीं मामलों पर विचार करेगा जिनमें विद्यार्थी पहले SGRC की प्रक्रिया पूरी कर चुका हो।
- सामान्यत उत्तर-पुस्तिका पुनर्मूल्यांकन जैसे अकादमिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि स्पष्ट भेदभाव / अन्याय सिद्ध न हो।

- लोकपाल आवश्यकता पड़ने पर कानूनी / विशेषज्ञ सहायता ले सकता है और अपील प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर निवारण का प्रयास करेगा।
- लोकपाल के आदेश अनुशंसात्मक नहीं, बल्कि अनुपालन हेतु होते हैं.

5. लोकपाल तथा विद्यार्थी शिकायत निवारण समितियों (SCRC) द्वारा शिकायतों के निवारण हेतु प्रक्रिया (Procedure for Redressal of Grievances)

- प्रत्येक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय, एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा, जहां कोई भी पीड़ित छात्र अपनी शिकायत के निवारण के लिए आवेदन कर सकता है।
- ऑनलाइन शिकायत प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय / महाविद्यालय, ऑनलाइन शिकायत की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियों सहित शिकायत को उपर्युक्त छात्र शिकायत निवारण समिति को भेजेगा।
- छात्र शिकायत समिति, जैसा भी मामला हो। शिकायत की सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी जिसकी जानकारी संबंधित संस्थान और पीडितपत्र को दी जाएगी।
- पीड़ित छात्र या तो व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकता है अथवा अपना पक्ष रखने के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है।
- छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा समाधान नहीं की गई शिकायतों को इन विनियमों में उपबंधित समयावधि के भीतर लोकपाल को भेजा जाएगा।
- संस्थान, शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु लोकपाल अथवा छात्र शिकायत निवारण समिति (समितियों), जैसा भी मामला हो, का सहयोग करेंगे।
- लोकपाल, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, कार्यवाही के समापन पर. तत्संबंधी कारणों के साथ, इस प्रकार का आदेश पारित करेगा, जैसा कि शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है और ऐसी राहत प्रदान कर सकता है जो पीड़ित छात्र के लिए उपयुक्त हो सकती है।
- संस्थान के साथ ही साथ पीड़ित छात्र को लोकपाल के हस्ताक्षर के तहत जारी की गई आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
- संस्थान, लोकपाल की सिफारिशों का अनुपालन करेगा।
- जहां शिकायत झूठी या तुच्छ पाई जाती है उस स्थिति में लोकपाल शिकायतकर्ता के विरुद्ध उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने की सिफारिश कर सकता है।

6. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का दायित्व होगा कि वह SGRC एवं लोकपाल को सभी आवश्यक दस्तावेज / सहयोग प्रदान करेगा ।

7. शिकायत के बिंदुः इसमें निम्नवत् के संबंध में किसी पीडित विद्यार्थी द्वारा की गई शिकायत (शिकायतें) शामिल हैंः

- संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप निर्धारित की गई योग्यता के विपरीत प्रवेश दिया जाना ।
- संस्थान की घोपित प्रवेश नीति के तहत प्रक्रिया में अनियमितताएं ।
- संस्थान की घोपित प्रवेश नीति के अनुरूप प्रवेश देने से इंकार किया जाना ।
- इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप, संस्थान द्वारा विवरणिका का प्रकाशन न किया जाना ।

- संस्थान द्वारा विवरणिका में ऐसी कोई जानकारी देना जोकि झूठी या भ्रामक हो और तथ्यों पर आधारित न हो ।
- किसी विद्यार्थी दवारा ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने के प्रयोजन से जमा किए गए किसी दस्तावेज जोकि उपाधि, डिप्लोमा या किसी अन्य पुरस्कार के रूप में हो, उसको अपने पास रख लेना या वापस करने से इंकार करना ताकि ऐसे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में विद्यार्थी को किसी शुल्क अथवा शुल्कों का भुगतान करने हेतु तैयार किया जा सके अथवा मजबूर किया जा सके। जिसमें छात्र अध्ययन नहीं करना चाहता हो :-
- संस्थान की घोपित प्रवेश नीति में निर्धारित राशि से अधिक धनराशि की मांग करना।
- छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रवेश में सीटों के आरक्षण के संबंध में वर्तमान में लागू किसी कानून का संस्थान द्वारा उल्लघंन किया जाना।
- ऐसे किसी संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत अथवा आयोग द्वारा विहित किन्हीं शर्तों, यदि कोई हो तो, के तहत किसी भी विद्यार्थी हेतु ग्राह्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया जाना अथवा विलम्ब से भुगतान किया जाना।
- संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में अथवा आयोग द्वारा विहित ऐसे किसी कैलेंडर में विनिर्दिष्ट अनुसूची से इतर परीक्षाओं के आयोजन में अथवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा में विलम्ब करना।
- विवरणिका में यथा उल्लेखित अथवा संस्थान द्वारा लागू किसी कानून के किसी उपबंध के तहत यथा अपेक्षित विद्यार्थिओं की सुविधा प्रदान करने में संस्थान द्वारा विफल रहना।
- विद्यार्थिओं के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई गैर-पारदर्शी अथवा अनुचित पद्धतियां।
- ऐसे किसी विद्यार्थी को शुल्क के प्रतिदाय में विलंब करना, अथवा इंकार करना जो कि विवरणिका में उल्लिखित समय के भीतर, बशर्ते यह समय-समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन हो, नामांकन वापस लेता है।
- अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अथवा दिव्यांग श्रेणियों के विद्यार्थिओं से कथित भेदभाव की शिकायत।
- प्रवेश दिए जाने के समय जैसा भरोसा दिलाया गया था अथवा प्रदान किया जाना अपेक्षित था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं किया जाना।
- छात्र के उत्पीड़न के अन्य मामलों के अलावा जिन पर वर्तमान में लागू किसी कानून के दंडात्मक उपबंधो के तहत कार्रवाई की जानी हो, छात्र का उत्पीड़न किया जाना अथवा उसे निशाना बनाया जाना।
- संस्थान के कानूनों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों या दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई कार्रवाई किया जाना अथवा शुरु किया जाना।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अथवा संबंधित नियामक निकाय द्वारा बनाए गए / जारी किए गए नियमों और / या दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई भी कार्रवाई किया जाना अथवा शुरु किया जाना।

सर्वसंबंधितों से अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों की शिकायतों का निराकरण अधिनियम अनुसार, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से किया जा सके।

8. उपरोक्त बिंदुओं में लिखित प्रक्रिया में स्पष्टता अथवा किसी भी अन्य स्थिति / विवाद के प्रकट होने पर निर्णय यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम 2023 के अनुसार लिया जाएगा।

मानसिक स्वास्थ्य क्लब

राज्य परियोजना संचालनालय, विश्व बैंक परियोजना उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल के पत्र अनुसार विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये मानसिक स्वास्थ्य क्लब की स्थापना की गई है।

1. डॉ. दुर्गेश बाबू कोष्टा, नोडल अधिकारी
2. डॉ. शिव कुमार ब्यास
3. डॉ. आरती पटेल
4. डॉ. सुनील कुमार देशपांडे
5. श्री अनुराग उपाध्याय
6. डॉ. अर्पणा पाण्डेय
7. डॉ. अर्चना मुठ्ये
8. सुश्री सुमोना घोष

विभिन्न विभागो के विभागाध्यक्ष

- विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग : डॉ. दुर्गेश बाबू कोष्टा
- विभागाध्यक्ष व्याहारिक अर्थशास्त्र विभाग : डॉ. शक्ति प्रताभन
- विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग : डॉ. संजय श्रीवास्तव
- विभागाध्यक्ष प्रबंधन विभाग : डॉ. ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी
- विभागाध्यक्ष कला संकाय/हिन्दी विभाग : डॉ. शिव कुमार व्यास
- विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग : डॉ. आरती पटेल
- विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर विभाग : श्री प्रवीण कुमार सिंह
- विभागाध्यक्ष बी.एड. विभाग : डॉ. वंदना परोहा

सांस्कृतिक, एन.एस.एस., एन.सी.सी., खेलकूद अधिकारी

- सांस्कृतिक गतिविधि प्रकोष्ठ : डॉ. आरती पटेल
- कार्यक्रम अधिकारी (एन.एस.एस.) : डॉ. अशोक बैनर्जी (इकाई 1)
- कार्यक्रम अधिकारी (एन.एस.एस.) : डॉ. नीरज कुमार केशरवानी (इकाई 2)
- कार्यक्रम अधिकारी (एन.एस.एस.) : डॉ. सुनीता उपाध्याय (महिला इकाई)
- कार्यक्रम अधिकारी (एन.सी.सी.) : श्री अनुराग उपाध्याय
- क्रीड़ा अधिकारी : श्री मुईन अहमद कुरैशी

महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन से संचालित कार्य

काउन्टर नं. 01	आई. क्यू.ए.सी. संबंधी कार्य	काउन्टर नं. 07	टी.सी., रेलवे कंसेशन एवं बी. एड. एडमिशन संबंधी कार्य
काउन्टर नं. 02	आई. क्यू.ए.सी. संबंधी कार्य		
काउन्टर नं. 03	प्रवेश संबंधी कार्य	काउन्टर नं. 08	छात्रवृत्ति संबंधी कार्य एवं मार्कशीट वितरण
काउन्टर नं. 04	फोटोकापी, आई.डी.कार्ड एवं पूछताछ संबंधी कार्य	काउन्टर नं. 09	लेखा कार्य संबंधी
काउन्टर नं. 05	प्रवेश फार्म संबंधी, टाइपिंग संबंधी कार्य	काउन्टर नं. 10	लेखा कार्य संबंधी
		काउन्टर नं. 11	ग्रंथालय संबंधी कार्य
काउन्टर नं. 06	अवकाश संबंधी एवं डाक डिस्पेच संबंधी कार्य	काउन्टर नं. 12	ग्रंथालय संबंधी कार्य
		काउन्टर नं. 13	ग्रंथालय संबंधी कार्य